



प्रेस नोट थाना रोजा



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 30.09.2026

थाना रोजा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.09.2026 को पीड़िता की माता द्वारा थाना रोजा पर लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 19.09.2026 को उनकी नाबालिग पुत्री अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त हसमिन्दर पुत्र वीरेश निवासी ग्राम ऐंठा हुसैनपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा उसका पीछा कर रास्ता रोककर छेड़छाड़ की गई तथा गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 431/26 धारा 74, 79, 352, 351(3) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना पीड़िता के धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। आज दिनांक 30.09.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम शांति व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु क्षेत्र में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हसमिन्दर ग्राम मुकरमपुर बस अड्डे के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा ग्राम मुकरमपुर बस अड्डे के पास से अभियुक्त हसमिन्दर पुत्र वीरेश निवासी ग्राम ऐंठा हुसैनपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को आज दिनांक 30.09.2026 को समय 12:50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

हसमिन्दर पुत्र वीरेश निवासी ग्राम ऐंठा हुसैनपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 431/26, धारा 74, 79, 352, 351(3), 64(1) बीएनएस एवं धारा 7/8, 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

दिनांक 30.09.2026 को समय करीब 12.50 बजे, वाहद मुकरमपुर अड्डे के पास

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम अग्रवाल, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2174 विपिन नैन, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2625 नितिन कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर